

**संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़, रायपुर**
बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम
सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

-:: पांचवे चरण की काउंसिलिंग सूचना ::-

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)

बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम, सत्र 2018-19 में भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) विभाग नई दिल्ली/राज्य शासन से प्राप्त अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता/ अनुमति के आधार पर निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है। प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2018 में सम्मिलित एवं संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 31.8.2018 एवं 3.11.2018 के अनुसार पंजीकृत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक, श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :-

समय सारिणी

दिनांक	श्रेणी/संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक (परसेन्टाइल)
12.11.2018 (सोमवार)	अनारक्षित (निल)	प्रातः 8.30 से 10.00 बजे तक	न्यूनतम 86 (35.438897) तक
	(सैनिक)	_____”_____	_____”_____
	(एफ.एफ.)	_____”_____	_____”_____
	(दिव्यांग)	_____”_____	न्यूनतम 76 (30.170223) तक
	अजजा (निल)	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	न्यूनतम 67 (25.159754) तक
	(सैनिक)	_____”_____	_____”_____
	(एफ.एफ.)	_____”_____	_____”_____
	(दिव्यांग)	_____”_____	— —
	अजा (निल)	प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक	न्यूनतम 67 (25.159754) तक
	अजा(दिव्यांग)	_____”_____	— —
	अपिव (निल)	प्रातः 12.00 से 1.00 बजे तक	न्यूनतम 67 (25.159754) तक
	(दिव्यांग)	_____”_____	_____”_____

(अ) प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 8(15)(ज) में निहित प्रावधान अनुसार किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत (सैनिक),(एफ.एफ.),(दिव्यांग) के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

(ब) उपरोक्तानुसार श्रेणी/संवर्गवार दर्शाए गए अंकों से अधिक अंको वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम,द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण की काउंसिलिंग में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं वे भी काउंसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

(स) किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 4(6) (ख) में निहित प्रावधान अनुसार परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

(द) महाविद्यालयवार रिक्त सीटों की अनंतिम संख्या /जानकारी काउंसिलिंग तिथि के पूर्व वेबसाइट पर अपलोड की जावेगी । काउंसिलिंग तिथि को उपलब्ध सीटों पर ही प्रवेश संबंधी कार्यवाहियां की जावेगी ।

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :-

1. नीट परीक्षा का प्रवेश-पत्र ।
2. नीट प्रवेश परीक्षा-2018 की अंकसूची ।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति ।
4. दसवीं की मूल अंकसूची ।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची ।
6. स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र ।
7. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार) ।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो) ।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार) ।
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण-पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
11. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
12. अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी । इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
13. दिव्यांगता संवर्ग में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
14. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
15. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज फोटो भी साथ लावें ।
16. **शैक्षणिक शुल्क :-**

- (1) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के भारती आयुर्वेद महाविद्यालय, दुर्ग/छत्तीसगढ़ आयुर्वेद महाविद्यालय, मनकी राजनांदगांव के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 55,620/-** राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय चंद्रखुरी दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 56620/-** संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है ।
- (2) महावीर कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्स राजनांदगांव हेतु शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु फीस निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शासन निर्देशानुसार प्रावधिक शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 55,620/-** तत्काल उनके काउंटर में जमा करना अनिवार्य है । फीस के अंतिम निर्धारण उपरांत अन्तर की राशि उभय पक्षों को मान्य होगी ।
- (3) काउंसिलिंग के समय प्रदेश के निजी क्षेत्र के छदामी लाल चौकसे मेमो. होम्योपैथी चिकि. महाविद्यालय बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 28,140/-**, रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,640/-**, महाराणा प्रताप होम्योपैथी मेडि.कालेज, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,140/-**, प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, भिलाई, दुर्ग के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 27,640/-** तथा मोहसीने मिल्लत यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत **₹. 29,400/-** संबंधित महाविद्यालय के काउंटर में तत्काल जमा करना अनिवार्य है ।
- (4) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय का चयन करने के उपरांत निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा ।
- (5) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा । संबंधित महाविद्यालय द्वारा शुल्क जमा न करने या अन्य किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की दशा में अभ्यर्थी इसकी लिखित सूचना तत्काल अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति को देगा ।

नोट :- (1)

यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।

(2)

प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विस्तृत एवं अंतिम विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा ।

(3)

काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी ।



आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़